बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 03.04.19

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–23/2016–1246/ श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास के विरूद्ध देशी शराब की आपूर्त्ति हेतु निर्धारित बेस रेट एवं निविदा दर की अंतर राशि मेसर्स वेलकम डिस्टीलरी प्रा0 लि0 से रू. 66,56,782/– (छियासठ लाख छप्पन हजार सात सौ बेरासी) रूपये की वसूली नहीं करने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–6172 दिनांक 13.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी –सह–उपायुक्त उत्पाद, पटना सह मगध प्रमंडल, पटना के पत्रांक–10 दिनांक–16.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप प्रमाणित होता है, निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–445 अनु0, दिनांक–06.02.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी ।

4. श्री कुमार ने पत्रांक–275 दिनांक 16.03.2018 द्वारा विभाग में समर्पित द्वितीय बचाव बयान में कहा गया है कि मे0 वेलकम डिस्टलरी प्रा0 लि0, सासाराम का विभाग में एक करोड़ रूपया सुरक्षित राशि के रूप में जमा है। विभाग में सदृश्य मामले में निर्णय लिये गये है उनको दृष्टिगत रखते हुए मामले को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा राशि की वंसूली हेतु पर्याप्त प्रयास किया था और न्यायालय के हस्तक्षेप एवं स्थगन आदेश के कारण ही वसूली में बाधा उत्पन्न हुई जिसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बैक गारंटी के रूप में पर्याप्त जमानत राशि उपलब्ध रहने और उसमें से संपूर्ण बकाया राशि की वसूली का निर्णय होने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति नहीं हुई है अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री आनन्द कुमार को दोष मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/4/19

(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव,

बिहार, पटना।

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–23/2016–1246/ पटना, दिनांक– 03.04.19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

3/4/19

सरकार के संयुक्त सचिव,

बिहार, पटना।

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–23 / 2016–1246 /   पटना, दिनांक–03.04.19

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर / सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास एवं श्री आनन्द कुमार, सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/4/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।